न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर अहकाम की तामील हुए
	राजू सरकार बनाम कलूराम मु.नं.– 06/24 किस्म – धारा 177 एक्ट	

सम्मन पेश नहीं किये। समय चाहा। न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली बास्ते फरयादी मुकाम प्रा.पत्र प्रतिवादी सं. 09, एवं तलबी प्रतिवादी सं. 04, 10 लगा 12 दिनांक 19.3.26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

19.03.26 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान को बार-2 आवाज दिलवाई गई। अग्रम पक्ष अनुपस्थित रहे। पत्रावली काफी समय से कायमी मुकाम एवं तलबी में लंबित है। वादी को बार-2 निर्देशों के बावजूद भी वादी के द्वारा प्रतिवादी सं. 09 के कायमी मुकाम प्रा.पत्र एवं प्रतिवादी सं. 04, 10 लगा 12 के तलबाना सम्मन पेश नहीं किये और निर्देशों की अवहेलना की गई। इससे स्पष्ट है कि पक्षकारान पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली पक्षकारान की अग्रम हाजरी व अग्रम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)